

तारीख हुक्म	राज सरकार जेड शा. व. कीरतपुरा प्रा. पत्र अंतर्गत द्वारा 131 LRA 4 मु. नं. 114/2024	नम्बर अहम हुक्म में जार
	8/01/2025 पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य प्रमाण/RO. सा. राज्य कार्य होने से जनरल के पेशी में आवेदन की पालना में दिनांक 24/02/25 को पेश हो। 24/02/25 प्रमाण पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य प्रमाण/RO. सा. राज्य कार्य में कार्य होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मग आवेदन की पालना में दिनांक 22/04/25 को पेश हो। 22/04/25 प्रमाण पेश हुई। प्रा. व. के. सरकार उपर हमने प्रमाण सरकार बहस पुनी। व. परमान किया। तहसीलदार वकील द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार वकील ने प्रमाण में राजस्व का कीमत परागाह भूमि में से मीठे पर-रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ मु. रास्ता दर्ज करने वाकत निवेदन किया है। प्रमाण में वाकत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में परागाह दर्ज है। परागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की भूमि में जाने के कारण भूत भूमि में से प्रमाण बिना रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार वकील द्वारा प्रस्तुत प्रमाण परागाह प्रतिबंधित भूमि की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाना है। विस्तृत निर्णय प्रवृत्त किया जाऊंगा। प्रमाण पेश किया गया। प्रमाण पेश हुआ है। अतः तहसीलदार वकील द्वारा दर्ज हो। 24/02/25 प्रमाण पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य प्रमाण/RO. सा. राज्य कार्य में कार्य होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मग आवेदन की पालना में दिनांक 22/04/25 को पेश हो। 24/02/25 प्रमाण पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य प्रमाण/RO. सा. राज्य कार्य में कार्य होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मग आवेदन की पालना में दिनांक 22/04/25 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

PH:-01420-22848

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-114 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक:- 12.06.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक:- 22.04.2025

उनवान- राज. सरकार बनाम ग्राम पंचायत कीरतपुरा

राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्तों को
राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांक:- 22.04.2025

तहसीलदार बाँदीकुई ने पत्र क्रमांक: राजस्व/रास्ता प्रकरण/2024/796 दिनांक: 10.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम कीरतपुरा स्थित चारागाह भूमि खसरा नं. 2013/1997 रकबा 11.31 हैक्ट. में से 0.09 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि का प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत पेश किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का अरनियां रिपोर्ट दिनांक: 28.03.2024, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072-75 ग्राम कीरतपुरा खाता सं. नया 262 पुराना 1, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। प्रस्ताव में उक्त चारागाह भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। प्रस्ताव में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के कारण उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव चारागाह प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/4/25
(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.
उप जिला मजिस्ट्रेट
बाँदीकुई